232/17 खंगारसिंह vs दुर्गासिंह वगैरा

21.5.18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत डण्डाली में पेश हुई। पक्षकारान को जारी लोक अदालत नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। जो शामिल मिसल हो। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड तलबी दिनांक 16.1.18 को करवाई गई थी। एवं लोक अदालत नोटिस जारी होने के उपरांत भी विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल होने के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जात है। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया। और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.डण्डाली)

पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर समा,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स. 232/2017

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.खंगार सिंह पुत्र शंकरसिंह 2. चौथी कवंर पत्नि शंकरसिंह जातियान राजपुरोहित निवासीयान सोढो की ढाणी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		1. दुर्गसिंह पुत्र देवीसिंह 2. खीमसिंह पुत्र देवीसिंह 3. मन्सूसिंह पुत्र देवीसिंह 4. भूरसिंह पुत्र देवीसिंह 5. मगसिंह पुत्र देवीसिंह 6. कंवरों कवंर पत्नि खीमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी सोढो की ढाणी, डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 7. धन्ना राम पुत्र रूगाराम 8. दीपाराम पुत्र रूगाराम जाति दर्जी निवासी सोढो की ढाणी, हाल निवासी मनणावास मांजीवाला तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर 9. बाबू पुत्र गोमाराम 10. चेतनराम पुत्र गोमाराम जति जाट निवासी सरणू पनजी तहसील बाडमेर व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री दुर्गाराम पूनीया, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकरतफा।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

<u>आदेश</u>

दिनांक–21.5.2018

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम बावडी खुर्द पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 21/2 रकबा 37–13 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बावडी खुर्द पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 21/2 रकबा 37–13 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड तलबी दिनांक 16.1.2018 को करवाई गई थी। एवं विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम बावडी खुर्द पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 21/2 रकबा 37—13 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम बावडी खुर्द पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 21/2 रकबा 37—13 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम बावडी खुर्द पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

की खेत खसरा संख्या 21/2 रकबा 37–13 बीधा भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डेड सहखातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2072 से 2075 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नहीं होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. **लिहाजा**,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बावडी खुर्द पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 21/2 रकबा 37–13 बीधा भूमि के सबंध में तहसीलदार सिणधरी सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करावें। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार वहन किया जावेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर समा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 21.5.18 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner